न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
13 / 01 / 2022	2022 / 8	04.02.2022	10.06.2024

1. मनीराम पुत्र श्री ममलूराम, उम्र 63 साल, जाति बैरवा, निवासी ग्राम बालेटा, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर (राज0)।

—निगरानीकार

बनाम

1. बाल्याराम पुत्र श्योदयाल, जाति खटीक, निवासी ग्राम बालेटा, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर (राज0)।
2. ग्राम पंचायत बालेटा जर्ये सरपंच ग्राम पंचायत बालेटा, पंचायत समिति उमरैण हाल पंचायत समिति मालाखेडा, जिला अलवर
3. पंचायत समिति उमरैण हाल पंचायत समिति मालाखेडा जरिये विकास अधिकारी, मालाखेडा, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर

—गैरनिगरानीकार

निगरानी बनाराजी तजबीज निर्णय ग्राम पंचायत बालेटा जरिये सरपंच पंचायत समिति उमरैण हाल पंचायत समिति मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर द्वारा दिनांक 19.10.1985 जिसके द्वारा जायदाद आबादी भूमि विक्रय विलेख (पट्टा) वाके ग्राम बालेटा तहसील मालाखेडा का पट्टा नम्बर संकल्प संख्या 13000 दिनांक 13. 01.1985 द्वारा और 01 की आज्ञा संख्या 19 दिनांक 13.10.1985 द्वारा संख्या 45 दिनांक 10.09.1989 द्वारा 1 की आज्ञा संख्या 19 दिनांक 19.10.1985 को गैरसायल संख्या 1 के नाम 100गुणा100 का गैरसायल संख्या 02 व 03 ने गलत तरीके से जारी किया गया। बमुराद मंसुखी तजबीज तहत अदालत व स्वीकार किये जाने निगरानी सायल।

उपस्थितः—

01. श्री धारा सिंह — वकील निगरानीकार
02. श्री मुकेश कुमार शर्मा — वकील गैरनिगरानीकार 01

—:: निर्णय ::—

निगरानीकार द्वारा निगरानी विरुद्ध ग्राम पंचायत बालेटा जरिये सरपंच पंचायत समिति उमरैण हाल पंचायत समिति मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर द्वारा दिनांक 19.10.1985 जिसके द्वारा जायदाद आबादी भूमि विक्रय विलेख (पट्टा) वाके ग्राम बालेटा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

तहसील मालाखेडा का पट्टा नम्बर संकल्प संख्या 13000 दिनांक 13.01.1985 द्वारा और 01 की आज्ञा संख्या 19 दिनांक 13.10.1985 द्वारा संख्या 45 दिनांक 10.09.1989 द्वारा 1 की आज्ञा संख्या 19 दिनांक 19.10.1985 को गैरसायल संख्या 1 के नाम 100गुणा100 का गैरसायल संख्या 02 व 03 द्वारा किये जाने से व्यथित होकर पेश की है। निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि मिन सायल की एक मौरूसी जायदाद बाडा पैमाईश सिरे पूर्व 70 फुट, सिरे पश्चिम 70 फुट, सिरे उत्तर 40 फुट व सिरे दक्षिण 40 फुट ग्राम बालेटा तहसील मालाखेडा जिला अलवर में स्थित है। जिसकी हदूद अर्वा इस प्रकार है, तरफ पूर्व में गैरसायल संख्या 01 का बाडा, तरफ पश्चिम को पडत जमीन गणेशाराम व कन्हैयालाल मास्टर की, तरफ उत्तर को पडत जमीन व तरफ दक्षिण को आम सडक सरकारी है। उक्त जायदाद सायल के पिता के जीवनकाल से ही कब्जा चला आ रहा है तथा सायल का कब्जा उक्त जायदाद पर अपने बुजुर्गों के समय से अर्थात अरसे दराज से बैरोक टोक शांतिपूर्ण चला आ रहा है। कब्जा करीब 70 साल से भी अधिक पुराना चला आ रहा है। उक्ता जायदाद को सायल को बाडे के रूप में उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। जिसमें मौके पर दो पेड कीकर व एक पेड सरस का लगा हुआ है और सायल के पत्थर भी पडे हुये हैं।

सायल की उक्त जायदाद से गैरसायल सख्या 01 का कोई संबंध व सरोकार नहीं है और ना ही कभी रहा है। किन्तु गैरसायल संख्या 01 सायल से दिली रंजिश रखते हैं तथा जायदाद पर मुतनाजा बाडा पर सायल को जबरन बेदखल कर अपना नाजायज कब्जा करना चाहता है तथा आये दिन लडाई झगडा करने पर उतारू रहता है तथा गैरसायल संख्या 01 व उसके परिजन अपनी बेजा हरकतों से बाज नही आते है। दिनांक 27.11.2016 को गैरसायल संख्या 01 व उसके परिजन उक्त जायदाद पर नाजायज कब्जा करने की मंशा से विवादित जायदाद में तरफ पूर्व को अचानक नींव खोदना शुरू कर दिया। जिस पर सायल ने आपत्ती की तो गेरसायल व उसके परिजन लडाई झगडा पर उतारू हो गये, तथा कहा कि हमने उक्त जायदाद मिलाकर पट्टा लिया हुआ है और कहा कि हम उक्त जायदाद पर जबरन कब्जा करके रहेगें। जिस पर बडी मुश्किल से सायल ने चन्द मौजिज लोगो की इमदाद से गैरसायल व उसके परिजन को रोका तथा गैरसायल ने विवादित जायदाद पर पुनः दिनांक 29.11.2016 को जबरन कब्जा करने का प्रयास किया और मरने मारने पर उतारू हो गये। तब सायल ने एक सिविल दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश क,ख, संख्या 02 अलवर राजस्थान बउनवान मनीराम बनाम बाल्याराम वगै0 का दायर किया, जो वर्तमान में अदालत सिविल न्यायाधीश मालाखेडा जिला अलवर के यहां विचाराधीन है। उक्त सिविल दावा में गैरसायलान की तलबी होने पर अपने जवाब में साक्ष्य(आबादी भूमि का विक्रय विलेख) विक्रेता पंचायत के संकल्प संख्या 3000 दिनांक 13.01.1985 द्वारा और एक की आज्ञा संख्या 19 दिनांक 13.10.1985 द्वारा की आज्ञा संख्या 45 दिनांक 10.09.1989 द्वारा एक की आज्ञा संख्या 19 दिनांक 19.10.1985 द्वारा पुष्टि की गई है। जो पट्टा फर्जी है, जिसकी पैमाईश 100गुणा100 यानि 10000 वर्गगज 1111.11 वर्गगज का फर्जी कूट रचित तथा खिलाफ मौका तैयार कर पेश किया गया था। जिसमें सायल का 70गुणा40 पर मौके पर कब्जा था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6,1 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बालेटा से नकल चाही गई, तो उन्होंने उक्त संकल्प संख्या 13000 दिनांक 13.01.1985 द्वारा और 1 की आज्ञा संख्या 19 दिनांक 13.10.1985 द्वारा संख्या 45 दिनांक 10.09.1989 बाल्याराम पुत्र श्योदयाल खटीक निवासी बालेटा को जारी किया गया का रिकॉर्ड पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

सायल द्वारा उक्त दस्तावेज लैटर हैड ग्राम पंचायत बालेटा पंचायत समिति उमरैण द्वारा लैटर पेड पर ग्राम पंचायत ने सूचना दी कि उसके बाद सायल ने मय जमाबंदी के न्यायायल सिविल न्यायाधीश मालाखेडा में विचाराधीन दावे में प्रार्थन पत्र ऑर्डर 07 रूल 14(3) तारीख 07.02.2020 को पेश किया व उक्त रिकॉर्ड को 06.11.2020 को रिकॉर्ड पर लिया गया व तारीख 15.03.2021 को मिन सायल ने उक्त पट्टा में मय नक्शा की नकल मिलने के लिए तहत अदालत में पेश की जिस पर नकले 23.03.2021 को मिली, नकले मिलने पर मिन सायल ने वकील साहब से सलाह मश्वरा लिया व रूपये पैसों का इंतजाम किया व तारीख 21.04.2021 को छुट्टी अदालते त्यौहार रामनवमी होने के कारण आज यह निगरानी बिला देरी के पेश है। मिन सायल ने निगरानी पेश करने में दिलोनिरता देरी नही की है। उक्त देरी काबिल माफी जिस बाबत प्रार्थना पत्र धारा 05 परिसीमा अधिनियम अलग से मय शपथ पत्र पेश है।

गैरसायल संख्या 01 उक्त फर्जी पट्टे की आड में मिन सायल की उक्त जायदाद जो 70 बाई 40 फुट है, जो मिन सायल के बुजुर्गान की है, मिलाकर फर्जी पट्टा 100 बाई 100 का तैयार गैरसायल संख्या 02 से मिलकर फर्जी तैयार कराया है। उसकी आड में गैरसायल संख्या 01 मिन सायल की उक्त जायदाद पर दिनांक 24.07.2018 को बलपूर्वक जबरन लट्ठ के बल पर गलत तरीक पर कब्जा कर लिया, तथा मिन सायलान गलत तरीक पर तान दी। उक्त फर्जी पट्टे का रिकॉर्ड ना तो ग्राम पंचायत बालेटा में है, और ना पंचायत समिति उमरैण हाल पंचायत समिति मालाखेडा में उपलब्ध है। गैरसायल संख्या 01 उक्त फर्जी की आड में विवादित जायदाद को दीगर जगह रहन बय करने पर उतारू हो रहा है व निर्माण करने पर उतारू हो रहा है। यदि गैरसायल संख्या 01 ने ऐसा कर दिया, तो मिन सायल की बरबादी का बाइस है व मिन सायल हकूक मिनकियत आशायसी इस्तेमाली काबिजयाना मालिकाना जायल होकर खतरे में पड जाने का अंदेशा है निगरानी सायल बमायने व बेसुद हो जायेगी। मिन सायल ग्रामीण परिवेश का का रहने वाला है, व अनपढ व अशिक्षित है तथा कानून से अनभिज्ञ है।

अतः निगरानी प्रार्थना पत्र पेश है कि निगरानी सायल मंजूर फरमायी जाकर तजबीज अदालत मातहत ग्राम पंचायत बालेटा तारीख 19.10.1985 मंसुख फरमायी जावे व विवादित जायदाद पट्टा जो तहत अदालत ने गैरसायल संख्या 01 के नाम जारी किया है वो निरस्त किया जावे। निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अनिगरानीकारों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अनिगरानीकारों की विधिवत तामील होकर पत्रावली में संलग्न है। अनिगरानीकार संख्या 01 जरिये अभिभाषक उपस्थित।

वकील अनिगरानीकार संख्या 01 द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब दिया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं। ग्राम पंचायत बालेटा ने कानूनी रूप से गैरसायल संख्या 01 के पक्ष में विक्रय विलेख जारी किया है, जिसकी जानकारी शुरू से ही सायल/प्रार्थी को है। जिस तथ्य को छुपा कर सायल द्वारा गलत तथ्यों के साथ न्यायालय श्रीमान के समक्ष निगरानी/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थी द्वारा जिस बाडा को अपनी मोरूसी जायदाद होना दर्ज किया है वह बाडा मिन गेरसायल संख्या 01 बाल्याराम पुत्र श्योदयाल खटीक निवासी ग्राम पंचायत बालेटा द्वारा गैरसायल संख्या 01 के पक्ष में जारी किया है जिस विक्रय विलेख की प्रति प्रस्तुत की जा रही है जिस जायदाद पर कब्जा भी मिन गैरसायल संख्या 01 का ही है जिस पर सायल/प्रार्थी का कोई हक व अधिकार नहीं है। विवादित बाडा गैरसायल संख्या 01 की जायदाद है जिसका विक्रय विलेख भी गैरसायल संख्या

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

01 के नाम जारी है तथा कब्जा भी गैरसायल संख्या 01 का ही है। प्रार्थी/सायल द्वारा इस जिमन के तथ्य झूंठे व मनगढंत दर्ज किये हैं जिस कारण से प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

सायल/प्रार्थी को गैरसायल संख्या 01 के नाम जारी विक्रय विलेख की जानकारी शुरू से ही है जिस तथ्य को प्रार्थी/सायल द्वारा छुपा कर गलत तथ्य दर्ज किये हैं। विवादित विक्रय विलेखशुदा जायदाद पर गैरसायल संख्या 01 का कब्जा है। शुरू से ही गैरसायल संख्या 01 का कब्जा चला आ रहा है। जिस पर निर्माण भी गैरसायल संख्या 01 द्वारा करवाया गया है। विवादित बाडा गेरसायल संख्या 01 की जायदाद है जिसका विक्रय विलेख भी गैरसायल संख्या 01 के नाम जारी है तथा कब्जा भी गैरसायल संख्या 01 का ही चला आ रहा है। गैरसायल संख्या 01 के विरूद्ध सायल द्वारा झूंठी एफ आई आर दर्ज करवाई गई थी जिस पर बाद जांच पुलिस मुकामी द्वारा एफ आर लगा कर न्यायालय में पेश किया गया जिस पर सायल द्वारा कोई प्रोटेस्ट नही किया गया और न्यायालय श्रीमान द्वारा पुलिस मुकामी द्वार पेश एफ आर को स्वीकार किया गया। इस तथ्य को भी सायल द्वारा छुपाया गया है। सायल द्वारा इस जिमन में झूंठे तथ्य दर्ज किये गये हैं। सायल गैरसायल संख्या 01 को वार वार तंग व परेशान करने के लिए भिन्न भिन्न न्यायालयों में कार्यवाही कर रहा है जिसमें उसे कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है क्योंकि सायल जबरदस्ती गेरसायल संख्या 01 की भूमि को हडपना चाहता है जबकि सायल का विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई हक व अधिकारी नहीं है।

उक्त विवादित भूमि पर बहैसियत मालिक काबिज हूं तथा उक्त विवादित जायदाद को बिना किसी रोक टोक के शान्तिपूर्ण तरीके से उपभोग उपयोग में ले रहा है जिस जायदाद व उसके किसी हिस्से से सायल या अन्य किसी व्यक्ति का कोई संबंध व सरोकार नही है उक्त जायदाद में मिन गेरसायल संख्या 01 ने पुख्ता चार दीवारी का निर्माण किया हुआ है एक कमरा पुख्ता टीन सायबान बनया हुआ है तथा पेड कीकर नीम इत्यादि लगाये हुये हैं तथा मिनगेरसायल संख्या 01 अपने पशु बांधता है तथा मिनगैरसायल का गेट लगा हुआ है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि बाद गौर जवाब निगरानी सायल की निगरानी 10000/—कोस्ट पर खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

पत्रावली में वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील निगरानीकार की बहस व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस का मनन किया गया।

ग्राम पंचायत बालेटा से प्राप्त पत्रांक 53 दिनांक 01.08.2022 में अंकित है कि निर्णय दिनांक 19.10.1985 पट्टा नम्बर संकल्प संख्या 13 दिनांक 13.01.1985 बहक बाल्या राम खटीक पुत्र श्योदयाल खटीक निवासी बालेटा को जारी किये गये पट्टों का रिकॉर्ड कार्यालय ग्राम पंचायत बालेटा में उपलब्ध नहीं है।

जबकि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 168 (3) के अनुसार पंचायत समिति पट्टों को अपने स्तर पर तीन प्रतियों में मुद्रित करायेगी। ऐसे सभी पट्टों पर पुस्तक संख्या तथा क्रम संख्या अंकित की जायेगी तथा पंचायत समिति स्तर पर पंचायतवार पट्टों का जारी करने का रिकॉर्ड संधारित किया जावेगा। पट्टे की पहली परत आवंटिती को जारी की जायेगी, दूसरी परत पंचायत कार्यालय में रखी जायेगी और तीसरी परत रिकॉर्ड के लिए पंचायत समिति में भेजी जावेगी। पंचायत—समिति उन्हें अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखेगी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

उक्त प्रकरण में पट्टाधारी एवं ग्राम पंचायत न्यायालय में उपस्थित आये हैं। विकास अधिकारी पंचायत समिति द्वारा न तो जवाब दिया गया और न ही कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया। पट्टाधारी पक्षकार किसी भी प्रकार का कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में असफल रहा है।

पत्रावली पर उपलब्ध पट्टा जो आबादी भूमि के विक्रय–विलेख के आधार पर जारी किया गया है का नियमों के क्रम में परीक्षण एवं मिलान किया गया।

1. पट्टे पर आबादी भूमि का विक्रय विलेख का टाईटल लिखा हुआ है, लेकिन आवादी भूमि का आराजी नं0 क्या है, अंकन नहीं किया गया है।
2. जारी पट्टे पर कार्यालय का कोई क्रमांक/मिसल अंकित होना नहीं पाया गया है।
3. राजस्थान पंचायती राज कानून के पुराने नियम एवं नये नियमों में विक्रय विलेख नियम 167 में पटटा जारी करने के लिए नियम 153 व नियम 154 की पालना ग्राम पंचायत द्वारा की गई या नहीं की गई, इस बाबत पटटाधारी एवं ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया।
4. प्रकरण में न्यायालय के पत्रांक 637 दिनांक 15.06.2022 की अनुपालना में कार्यालय ग्राम पंचायत बालेटा द्वारा पत्रांक 53 दिनांक 01.08.2022 द्वारा रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि इस पट्टे से संबंधित कोई रिकॉर्ड ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

इस प्रकार जारी पट्टा प्रथम दृष्टया ही संदिग्ध प्रतीत होता है। निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम पंचायत बालेटा द्वारा आबादी भूमि का विक्रय–विलेख के आधार पर बाल्याराम पुत्र श्री श्योदान जाति खटीक निवासी ग्राम बालेटा वर्तमान पंचायत समिति मालाखेडा के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 13.10.1985 निरस्त किया जाता है। विकास अधिकारी पंचायत समिति मालाखेडा को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि टीम द्वारा जांच करावें की उक्त पट्टे से संबंधित रिकॉर्ड तैयार हुआ था या नहीं और यदि तैयार रिकॉर्ड गायब हुआ है तो रिकॉर्ड गायब होने की तत्काल एफ आई आर दर्ज करायें एवं पंचायती राज अधिनियमों के तहत संबंधित जनप्रतिनिधी/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की सुनिश्चितता करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि०
राजस्थान
सरकार
प्रशासन